संख्या-159/2022/156रासनि/23-1-2022/001-26आरएसएन/2022टीसी

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 28 जुलाई, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-339/CE-HQ-1/RSN 3054/GKP/2022-23, दिनांक 18.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न जनपदों के 11 मार्गों के स्वीकृत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 7,57,63,000/- (रूपये सात करोड़ सत्तावन लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि.ख. महराजगंज	गंगी बाजार से देवीपुर नरकटहा सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	247 रासनि/23-1-21-834 रासनि/23-1-21-118 रासनि/21	54.13	5.41	9.18	39.54	25.00
2	नि.ख. महराजगंज	बडगो ग्राम सभा में डॉ अम्बेडकर योजना अन्तर्गत पूर्व निर्मित ध्वस्त सी0सी0 रोड का विशेष मरम्मत का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	129.97	13.00	1.67	115.30	90.00
3	नि.ख. महराजगंज	कोल्हुई लोटन मार्ग से खरहरवा सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली सहित विशेष मरम्म्त का कार्य।	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	54.52	5.45	6.13	42.94	30.00
4	नि.ख. महराजगंज	फरेन्दा धानी से उस्का बेलसड़ मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	33/2022/786 रासनि/23-1-21-03 रासनि/21 टीसी2	54.64	5.46	1.15	48.03	38.00

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	नि.ख. महराजगंज	घघवा मराठा मार्ग से घीवीपीड़ सम्पर्क मार्ग के के आबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	33/2022/786 रासनि/23-1-21-03 रासनि/21 टीसी2	67.58	6.76	1.40	59.42	47.00
6	नि.ख. महराजगंज	एस0एन0जी0 किमी 40 (मधुकरपुर महदेवा से अगया) सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	33/2022/786 रासनि/23-1-21-03 रासनि/21 टीसी2	55.31	5.53	0.38	49.40	33.00
7	नि.ख. महराजगंज	एस0एन0जी0 से मनिकौरा सिसवनिया सेमरा ताल्ही मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	33/2022/786 रासनि/23-1-21-03 रासनि/21 टीसी2	76.63	7.66	3.44	65.53	45.50
8	नि.ख. महराजगंज	फरेन्दा महराजगंज मार्ग से पथरीगढ़ सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	33/2022/786 रासनि/23-1-21-03 रासनि/21 टीसी2	41.2	4.12	4.24	32.84	24.50
9	नि.ख. महराजगंज	फरेन्दा धानी नौगढ़ से छितही बुजुर्ग मार्ग के के आबादी भाग में सी0सी0 रोड व नाली सहित विशेष मरम्मत का कार्य।	33/2022/786 रासनि/23-1-21-03 रासनि/21 टीसी2	50.51	5.05	2.25	43.21	30.00
10	नि.ख. देवरिया	नारायनपुर को देवरिया कसया से जोडने वाली मार्ग के किमी1,2,3(500),5,6 व 7 में विशेष मरम्मत एवं किमी4(400) में सी.सी. रोड का निर्माण कार्य।	221/2020/1161 रासनि/23-1-20-40 रासनि/20	93.65	65.56	7.43	20.66	20.66
11	नि.ख. देवरिया	देवरिया कसया मार्ग (राज्य मार्ग सं0-79) के कि.मी. 4, 5, 6, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 26, 27 व 28 के विशेष मरम्मत का कार्य।	15/2022/1562 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0-2	747.94	74.79	99.08	574.07	373.97
							कुल योग-	757.63

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 7,57,63,000/- (रूपये सात करोड़ सत्तावन लाख तिरसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-159/2022/156रासनि(1)/23-1-22/001-26आरएसएन/2022टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।